इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2017—माघ 14, शक 1938

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा एवं पदेन उपसचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 जनवरी 2017

क्र. 1059-जिशविअ-2017.— मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 5-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नगरपालिका परिषद् सौंसर की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में परिभाषित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, निवासी यदि उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के माध्यम के संबंध में आपत्ति हो तो लिखित में, वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के अन्दर कलेक्टर, छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत कर सकेगा, प्राप्त आपत्तियों पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा:—

अनुसूची—एक

नगरपालिका, सौंसर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की प्रस्तावित भूमि/क्षेत्र निम्नानुसार है:—

अनुक्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित होने वाले ग्राम का नाम	सम्मिलित किए जाने वाले ग्राम की जनसंख्या	घोषित किए जाने वाला क्षेत्रफल (कि.मी. में)	क्षेत्र की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8).
1	छिन्दवाड़ा	सौंसर	जाम	बेलगांव	1271	3.26 कि.मी.	संपूर्ण क्षेत्र
2	—"—	—"—	कढ़ैया	गूजरखेडी	320	0.036 कि.मी.	ग्राम गूजरखेडी के वार्ड क्र. 06, 07 एवं 08 का सम्पूर्ण क्षेत्र.
				कुल जनसंख्या	1591		
				सौंसर नगर की जनसंख्या	27459	15.92 कि.मी.	
				कुल योग . .	29050	19.216 कि.मी.	

अनुसूची—दो

अनुसूची—एक में दर्शाये गए क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका सौंसर की पुनरीक्षित सीमा :—

उत्तर—ग्राम काजलवानी एवं कढ़ैया की दक्षिण सीमा

पूर्व—ग्राम कढ़ैया एवं गुजरखेडी की पश्चिम सीमा

दक्षिण—ग्राम गुजरखेडी एवं जाम की उत्तर सीमा

पश्चिम—ग्राम खाण्ड सिवनी की सीमा एवं वाध्यानाला पूर्व सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 जनवरी 2017

क्र. 1059-जिशविअ-2017.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1059-जिशविअ-2017, दिनांक 23 जनवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Chhindwara, the 23rd January 2017

No. of 1059-Duda-2017.—Madhya Pradesh Municipal Act, 1961 (Number 37 of 1961) Using given power through the Section 5-A and through Municipal Saunsar. Any person of identified area, residential, came in under the Municipal saunsar. If any problem has created which related with any remark then by writing, He can present his created problem to Collector Chhindwara from highlight date to under the 30 days:—

SCHEDULE-I

List of Alignment village land/area under the Municipal of Saunsar is that:—

Serial No. (1)	Distt. (2)	Tah. (3)	Name of Gram Panchayat (4)	Name of Alignmant villages (5)	No. of Alignmant Population (6)	Anounced area (In km^2) (7)	Thresold of area (8)
1	Chhindwara	Saunsar	Jam	Belgaon	1271	3.26 km^2	Toal area
2	Chhindwara	Saunsar	Kadaiyya	Gujarkhedi	320	0.036 km^2	Ward of village Gujarkhedi Total area in 06, 07 & 08.
				Total Population	1591		
				Population of Saunsar	27459	15.92 km^2	
				Grand Total . .	29050	19.216 km^2	

SCHEDULE-II

Revised border of Alignment of Represented area in Schedule-I of Municipal Saunsar is that:—

North—Village-South border of Kajarwani & Kadaiyya

East—Village-best border of Kadaiyya & Gujarkhedi

South—Village-North border of Gujarkhedi & Jam

West—Village-East border of Khand Sivani & Waghyanala

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. K. JAIN, Collector & Ex-officio Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.